BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

APPEAL NO. 13 OF 2025

IN THE MATTER OF:

M/S SHAM LEATHER FINISHER ... . APPLICANT

VERSUS

UP POLLUTION CONTROL BOARD...... RESPONDENT

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Copy of the original file Incompliance of order dated 29.04.2025	1 - 16

NEW DELHI
DATED: 23 .05.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

(93)

71

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक Ref. No. H21772/सी-2/जल-196/बन्दी/24

दिनांक Date 26/12/24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स,
16–डी, गज्जूपुरवा 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

यह कि मै0 शम्श लेदर फिनिशर्स, 16–डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 02.09.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33- ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 05.12.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार उद्योग का निरीक्षण दिनांक 18.10.2024 को किया गया. निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया तथा पी0ई0टी0पी0 संचालित पाया गया। पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कर दिया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान PH-7.98, mg/l TSS-968 mg/l & Total Chromium.16-68 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है। जोकि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की यथासंशोधित के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।

अग्रेतर बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.09.2024 के सम्बन्ध में उद्योग का प्रतिउत्तर राज्य बोर्ड ने अप्राप्त है। जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 05.12.2024 द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33–ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33–ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग को निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किये जाते हैः–

1. यह कि मै0 शम्श लेदर फिनिशर्स, 16–डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Atulesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर नगर, को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, घाटमपुर कानपुर नगर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, कानपुर नगर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

टी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ - 226010
फोन : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

(94)

2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0/Ref. No. H21771/सी-2/जल-196/पर्या० क्षतिपूर्ति/24

दिनांक/Date 26/12/24

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स,
16-डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

विषयः मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 16-डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक एच-16541/सी-2/ जल-196/क0ब0नो0/24, दिनांक 02.09.2024 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 05.12.2024 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार उद्योग के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 18.10.2024 के समय उद्योग संचालित पाया गया तथा पी0ई0टी0पी0 संचालित पाया गया। पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कर दिया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान PH-7.98, mg/l TSS-968 mg/l & Total Chromium.16-68 mg/l पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त टैनरी उद्योग पम्पिंग स्टेशन-02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको माह के प्रथम पक्ष 01 से 15 तारीख तक बन्द रखा जाना नियत है। विवरण क्रमशः है:-

माह	मासिक बन्दी रोस्टर अवधि	कुल बन्दी दिवस
जुलाई, 2024	दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 15.07.2024	15 दिवस
अगस्त, 2024	दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 15.08.2024	15 दिवस
सितम्बर, 2024	दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 15.09.2024	15 दिवस
अक्टूबर, 2024	दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 15.10.2024	15 दिवस
	कुल बन्दी दिवस	60 दिवस

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकृत थर्ड पार्टी टीम द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 24.06.2024 व क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 18.10.2024 को एकत्र किये गये बाईपास जल नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या के दृष्टिगत दिनांक 24.06.2024 से दिनांक 18.10.2024 के मध्य मासिक बन्दी रोस्टर दिवस (कुल 60 दिवस) के अतिरिक्त उद्योग द्वारा कुल 117-60 = 57 दिवसों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 12,500/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0 7,12,500/-(रू0 सात लाख बारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं0 9 का अंश निम्नलिखित है-

".......The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र E.C=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 12500/-(रू0 बारह हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

...2..

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

7839891887

3

तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 05.12.2024 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति आख्या एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 16--डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर पर रू0 7,12,500/–(रू0 सात लाख बारह हजार पॉच सौ रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विविरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution-Water Pollution
EC imposed in Compliance-UPPCB Order

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

Atul Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा मे प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Atul Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर नगर

REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR NAGAR

74

संदर्भ 881/टैनरी-244/25

दिनांक 05/12/24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः—मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 16–डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने तथा उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अंवगत कराना है कि उक्त सन्दर्भित उद्योग को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस पत्रांक एच–16541/सी–2/जल–196/का0ब0नोटिस/24 दिनांक 02.09.2024 के सन्दर्भ में विस्तृत आख्या सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

इस कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 18.10.2024 को उद्योग संचालित पाया गया तथा पी0ई0टी0पी0 संचालित पाया गया। पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा करा दिया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान **pH-7.98, TSS-968 mg/l & Total Cr.-16.68 mg/l** पाये गये हैं, **जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है।**

अतः संलग्न आख्या में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग **मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 16–डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** पर कुल 57 दिवस के अवहेलना के दृष्टिगत् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार **रूपये 7,12,500/– (सात लाख बारह हजार पॉच सौ रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस पत्रांक एच–16541/सी–2/जल–196/का0ब0नोटिस/24 दिनांक 02.09.2024 की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः—यथोपरि (५ पेज)

भवदीय

(इ0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक एवं दिनांक :—उपरोक्त।

प्रतिलिपिः—सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 16–डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.09.2024 के सम्बन्ध में आख्या:–

उपरोक्त सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–16541/सी–2/जल–196/का0ब0नोटिस/24 दिनांक 02.09.2024 के अनुपालन में अधोहस्तरकर्ताओं द्वारा दिनांक 18.10.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया एवं उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री शम्श फिरदौस उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है:–

1. उद्योग में कच्चे मॉल के रूप में क्रोम टैनिंग पद्धति द्वारा रॉ–हाइड से फिनिश्ड लेदर–30 हाईड/दिन अर्थात 750 किग्रा0/दिन के 50 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हेतु उद्योग को ओ0सी0एम0एम0एस0 के पत्रांक 72600/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/water/KANPUR NAGAR/2019 एवं सहमति वायु आदेश संख्या 72602/UPPCB/Kanpur Nagar(UPPCBRO)/CTO/air/KANPUR NAGAR/2019 दिनांक 04.03.2020 निर्गत है, जिसकी वैद्यता अवधि दिनांक 31.12.2024 तक नियत है।
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी टीम सी0एस0आई0आर0–सी0एल0आर0आई0 द्वारा उद्योग के निरीक्षण दिनांक 24.06.2024 को उद्योग संचालित पाया एवं उद्योग में स्थापित पी0ई0टी0पी0 संचालनरत् नहीं पाया गया एवं पूर्णतया निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। पी0ई0टी0पी0 के कलेक्शन टैंक में अत्यधिक मात्रा में स्लज भरा पाया गया, सेटलिंग टैंक व स्लज ड्राईंग बेड्स पूर्णतया ड्राई एवं निष्प्रयोज्य अवस्था में पाये गये। औद्योगिक उत्प्रवाह बिना शोधन के बाईपास के माध्यम से परिसर के बाहर ड्रेन/सी0ई0टी0पी0 कनवेन्स चैनल में निस्तारित किये जाते पाये जाने के दृष्टिगत् उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 02.09.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
3. उद्योग को जारी उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.09.2024 की प्रति उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 23.09.2024 को प्राप्त करायी गयी है, साक्ष्य हेतु पत्र प्राप्ति की छायाप्रति संलग्न है। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में अप्राप्त है।
4. इस कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 18.10.2024 को उद्योग संचालित पाया गया तथा पी0ई0टी0पी0 संचालित पाया गया। पी0ई0टी0पी0 आउटलेट से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा करा दिया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रदूषणकारी प्रचालकों के मान **pH-7.98, TSS-968 mg/l & Total Cr.-16.68 mg/l** पाये गये हैं, जोकि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है।
5. उक्त टैनरी उद्योग पम्पिंग स्टेशन–02 (शीतला बाजार) से सम्बद्ध है, जिसको माह के प्रथम पक्ष 01 से 15 तारीख तक बन्द रखा जाना नियत है। विवरण क्रमशः है:–

माह	मासिक बन्दी रोस्टर अवधि	कुल बन्दी दिवस
जुलाई, 2024	दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 15.07.2024	15 दिवस
अगस्त, 2024	दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 15.08.2024	15 दिवस
सितम्बर, 2024	दिनांक 01.09.2024 से दिनांक 15.09.2024	15 दिवस
अक्टूबर, 2024	दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 15.10.2024	15 दिवस
	कुल बन्दी दिवस	60 दिवस

6. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकृत थर्ड पार्टी टीम द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 24.06.2024 व इस कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 18.10.2024 को एकत्र किये गये बाईपास जल नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या के दृष्टिगत् दिनांक 24.06.2024 से दिनांक 18.10.2024 के मध्य मासिक बन्दी रोस्टर दिवस (कुल 60 दिवस) के अतिरिक्त उद्योग द्वारा कुल 117-60=57 दिवसों का उल्लंघन प्रथम दृष्टिया दर्शाता है।
7. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु संख्या 9 का अंश निम्नलिखित है:–

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB not only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बंध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 12500/– प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (pollution index)=80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, small)=0.5, LF (Location Factor)= 1.25 for population between 1 to 5 million. लिया गया है।

Jaiswal

--।

8. अतः उक्त आदेश के अनुपालन में उद्योग द्वारा कुल 57 दिवसों की अवहेलना के दृष्टिगत् रूपये (12500×57)=7,12,500/– (सात लाख बारह हजार पॉच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित होती है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 16–डी, गज्जूपुरवा, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर के विरूद्ध रूपये **(12500×57) = 7,12,500/–** (सात लाख बारह हजार पॉच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस पत्रांक एच–16541/सी–2/जल–196/का0ब0नोटिस/24 दिनांक 02.09.2024 की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

05/12/24
(सौरभ हैरिस)
जे0आर0एफ0

05/12/24
(विकास यादव)
जे0आर0एफ0

05/12/24
(आशुतोष पाण्डेय)
पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) महोदय,

05/12/2024

--2

REGIONAL LABORATORY KANPUR
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
5243,Sadbhavana nagar,Awas vikas phase-3,Kalyanpur,Kanpur-17

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No:28707539/Kanpur Nagar/2024 **Date:25/10/2024**

1-Name of Industry: M/S SHAMS LEATHER FINISHERS, 16 D GAJJU PURWA 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR,KANPUR NAGAR,208010

2-Address of Industry: 16 D GAJJU PURWA 150 FT ROAD JAJMAU KANPUR,KANPUR NAGAR,208010

3-District: Kanpur nagar

4-Description about sampling point: OUTLET OF PETP

5-Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab

6-Sample Collected By: ASHUTOSH PANDEY EE & VIKASH YADAV JRF

7-Colour and Odour: Slightly Greyish Foul

8-Quantity and Packing: 1 lit Jerrican & 1 lit Jerrican HM

9-Date of Sample Collection: 18/10/2024

10-Analyis Indented by: RO Kanpur Nagar

11-Date of sample receipt in Lab: 18/10/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.98	6.5-9.0	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	968	600	10-20000 mg/l
Total Chromium, APHA 24th Ed 3111-B: 2023	mg/l	16.68	10	0.1-1000mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Saurabh Haris (JRF)]

Authorized by
YOGENDRA KUMAR DWIVEDI Digitally signed by YOGENDRA KUMAR DWIVEDI
Yogendra Kr Dwivedi (SA)

आशुतोष पाण्डेय
पर्यावरण अभियन्ता

AMIT MISHRA Digitally signed by AMIT MISHRA
Regional Officer

Rcvd by post 9/9/24

78

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No H16541 / सी-2/अनु-196/कारण बताओ नोटिस/24

दिनॉक Date 02/09/24

सेवा में,

मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स,
150 फिट रोड, जाजमऊ,
कानपुर नगर।

पंजीकृत

यह कि **मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 27.06.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उद्योग मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन टीम सी0एस0आई0आर0–सी0एल0आर0आई0 द्वारा दिनांक 24.06.2024 को किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया एवं उद्योग में स्थापित पी0ई0टी0पी0 संचालनरत् नहीं पाया गया एवं पूर्णतया निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। पी0ई0टी0पी0 के कलेक्शन टैंक में अत्यधिक मात्रा में स्लज भरा पाया गया, सेटलिंग टैंक व स्लज डाइंग बैड्स पूर्णतया ड्राई एवं निष्प्रयोज्य अवस्था में पाये गये। औद्योगिक उत्प्रवाह बिना शोधन के बाईपास के माध्यम से परिसर के बाहर ड्रेन/सी0ई0टी0पी0 कनवेन्स चैनल में निस्तारित किया जाता पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इकाई द्वारा पी0ई0टी0पी0 का संचालन एवं रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के आज्ञापक प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है।

अतः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उद्योग के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न उद्योग **मैसर्स शम्श लेदर फिनिशर्स, 150 फिट रोड, जाजमऊ, कानपुर नगर** की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरूद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार रू0 12,500/– प्रतिदिन की दर से निस्तारित औद्योगिक उत्प्रवाह के मानक के अनुरूप प्राप्त होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायें।

उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नकः निरीक्षण आख्या की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर निस्तारित उत्प्रवाह नमूने की विश्लेषण आख्या सहित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

EE
09/09/24
Noted-365

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Third Party

CPCB
LiFE Lifestyle for Environment
G20
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

Speed Post / E-mail

F. No. PJ-14011(11)/3/2021-WQM-II-HO-CPCB-HO/ **Date: 27.06.2024**

To,

Member Secretary
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Building No. TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Uttar Pradesh

Subject: Non-operational PETP (Completely abandoned PETP) and by-pass/direct discharge outside of the premises by one GPI of Kanpur, UP reported by team of CSIR-CLRI during 7th round of annual inspections 2023-24– reg.

Sir,

As you are aware that 7th round of annual inspections of Grossly Polluting industries (GPIs) 2023-24 has already been commenced from March 28th, 2024. As a part of this exercise, a team of CSIR-CLRI visited one Tannery sector GPI namely M/s Shams Leather Finisers, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur, UP (Unit code: 527) on 24.06.2024 and reported following vide an email dated 25.06.2024:

1. M/s Shams Leather Finisers, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur, UP (Unit code: 527) was found operational at the time of inspection.
   - PETP was found non-operational and in completely abandoned condition during inspection.
   - Collection tank was found filled with thick sludge. Settling tank & sludge drying beds were found completely dry and abandoned.
   - Untreated process effluent was found directly discharged outside of the premises to industrial drain (CETP Jajmau conveyance channel).
   - Photographic/Video graphic evidence of the same have also been provided along with the email.
   - Copy of email is enclosed for your reference at **Annexure-I.**

In view of the above and in compliance to the decisions taken during meeting held on 16.12.2023 regarding annual inspection of GPIs, it is requested to examine the matter and initiate appropriate action including issuance of closure direction along with electricity disconnection, against M/s Shams Leather Finisers, 150 Ft. Road, Jajmau, Kanpur, UP (Unit code: 527). Random inspection of this GPI shall be carried out by UPPCB officials to ensure that no such discharge takes place in future. Action taken report shall be forwarded to CPCB within 15 days from the receipt of this letter.

Yours faithfully,

27/06/24

(Dr. A. K. Vidyarthi)
Director and Divisional Head-WQM-II

Gmail

CPCB GPI <cpcbgpi@gmail.com>

Bypass unit code 527

1 message

Abhinandan <abhinandan@clri.res.in>
To: cpcbgpi <cpcbgpi@gmail.com>
Cc: SRINIVASAN S V <svsrinivasan@clri.res.in>

Tue, Jun 25, 2024 at 5:12 PM

महोदय/महोदया,
Sir/Madam,

Yesterday, our team visited M/S Shams Leather Finisers, 150 Ft Road, Jajmau, Kanpur (**unit code 527**) and noticed that their PETP was non functional and abandoned. The tannery unit was in operation and the effluent was directly being discharged into the conveyance channel of CETP Jajmau Bypassing the PETP. It has been reported under Bypass category.
Detailed report, pictures and videos are attached herewith for your reference and further action.

सादर धन्यवाद,
Thanks and regards,

अभिनंदन कुमार Abhinandan Kumar
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक Senior Principal Scientist
सीएसआईआर- केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान
CSIR-Central Leather Research Institute

प्रभारी वैज्ञानिक Scientist- In-Charge
सी. एल. और. आई. क्षेत्रीय केंद्र कानपुर
CLRI Regional Centre
कानपुर Kanpur, उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh

7 attachments

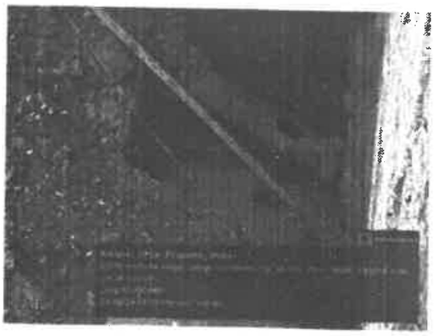

Bypass going outside 527.jpg
54K

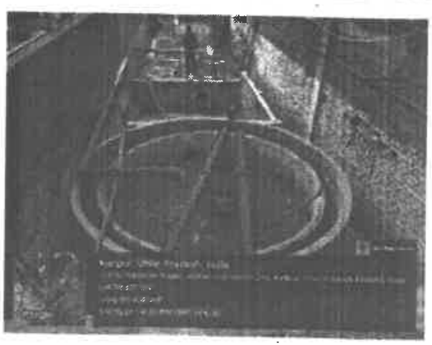

Dry settling tank 527.jpg
76K

SDB 527.jpg
73K

Bypass 527.mp4
4214K

Bypass line 527.mp4
8374K

Abondoned PETP 527.mp4
5265K

527-Shams Leather Finishers.pdf
2197K

FORMAT TO REPORT BY-PASS CASE OF GPI

1.	Date of Inspection	24/06/2024
2.	Unit Code, Name and Address of the unit	527 SHAMS LEATHER FINISERS, 150 FT. ROAD, JAJMAU, KANPUR
3.	Coordinates of unit (Latitude & Longitude) in Decimal	26.43108840 °N 80.40029770 °E
4.	Sector	Tannery
5.	Operational Status of the unit (Operational/Non-Operational)	Operational
6.	ETP/PETP operational status (Operational/Non-Operational/Does not Exist/Completely dry & abandoned/Defunct)	PETP was non-operational, settling tank and sludge drying beds were completely dry and abandoned.
7.	By-pass of untreated effluent observed (Yes/No)	Yes
8.	Name of location to which by-pass of untreated effluent found discharged i.e., Municipal drain/Industrial estate drain etc.	Industrial Drain (CETP Jajmau Conveyance Channel)
9.	By-pass point coordinates (Latitude & Longitude) in Decimal	Bypass Coordinate: **Coordinates:** 26.431307 °N; 80.400338 °E.
10.	By-pass sample collected (Yes/No)	Yes
11.	Other sampling points	No (PETP non-operational and dry)

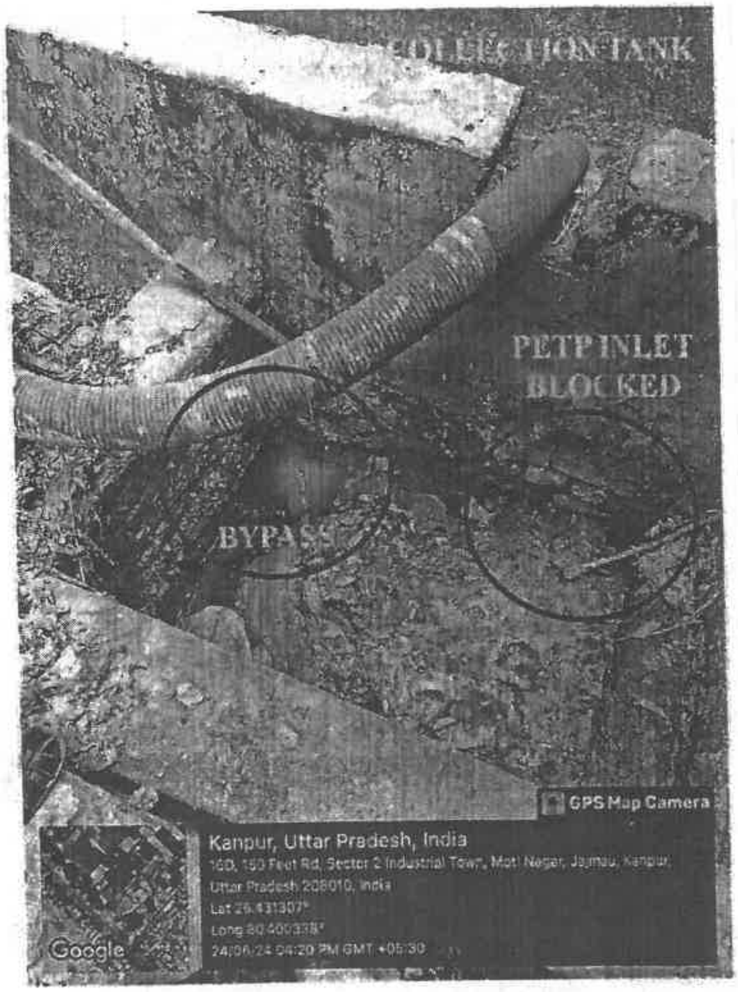

Figure: Bypass Location

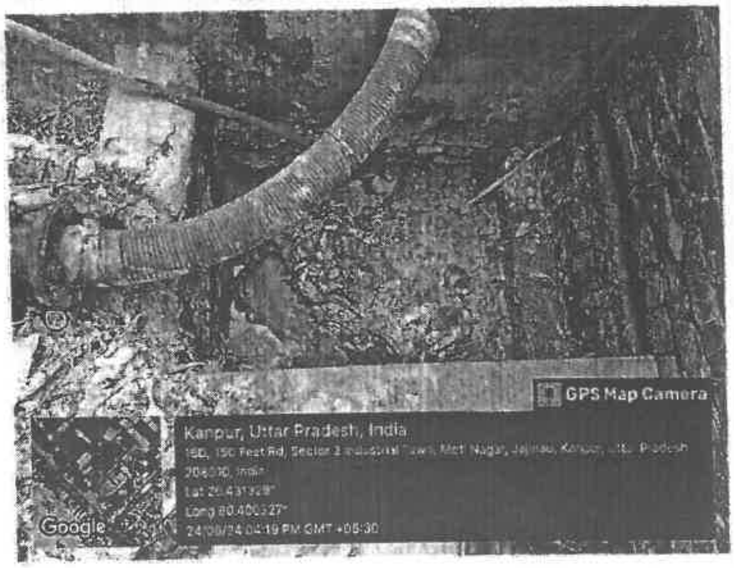

Figure: Bypass Location

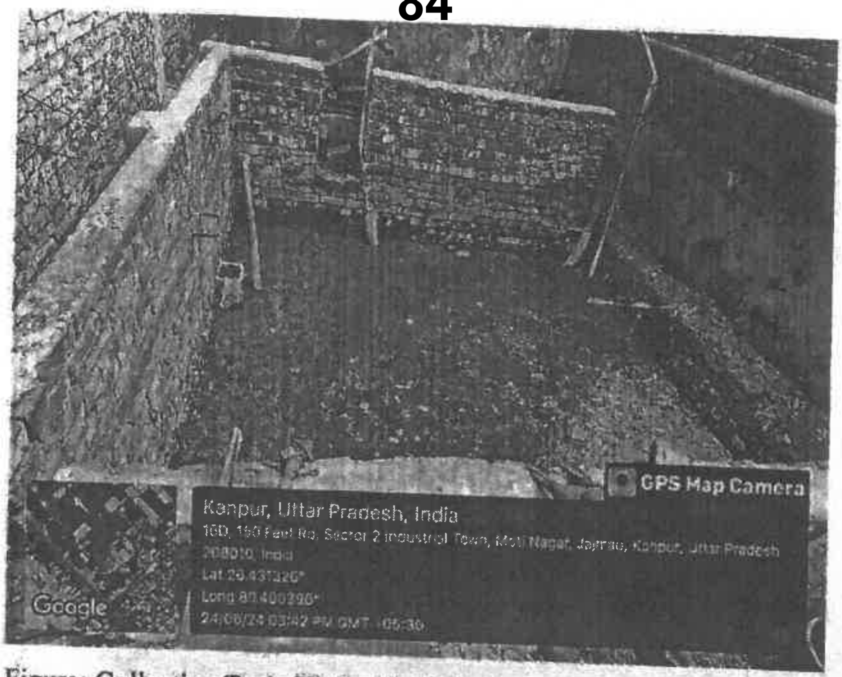

Figure: Collection Tank filled with sludge

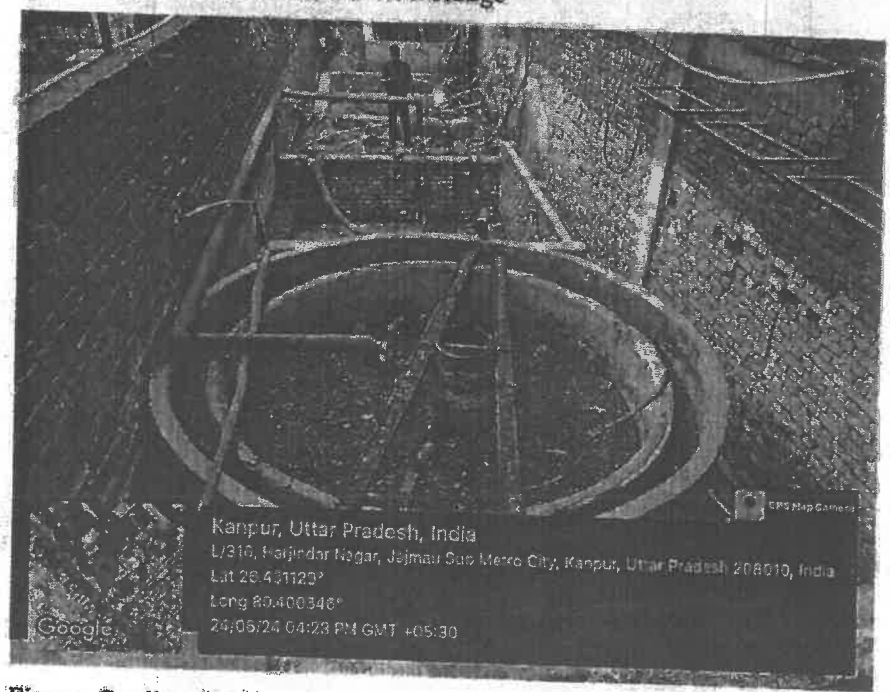

Figure: Settling Tank

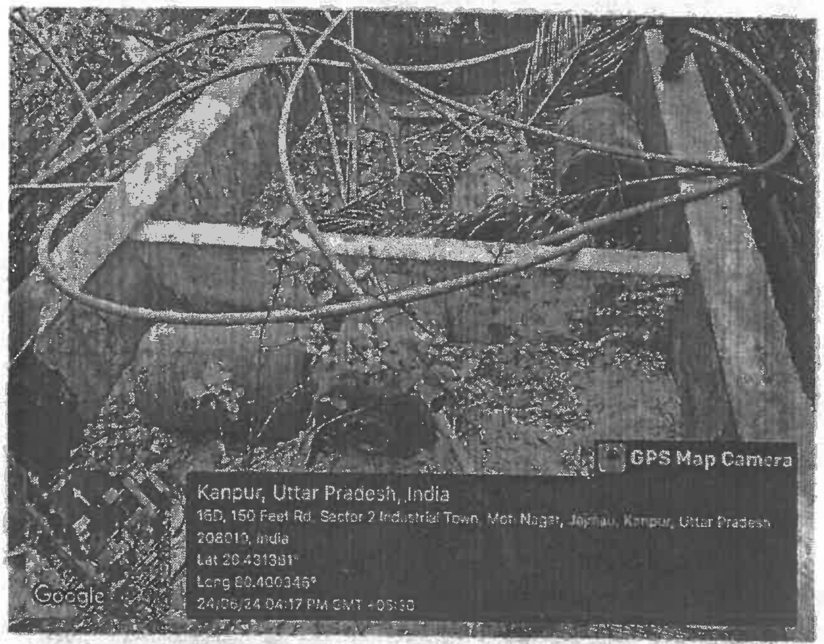

Figure: Sludge Drying Beds

Figure: Bypass going outside industry

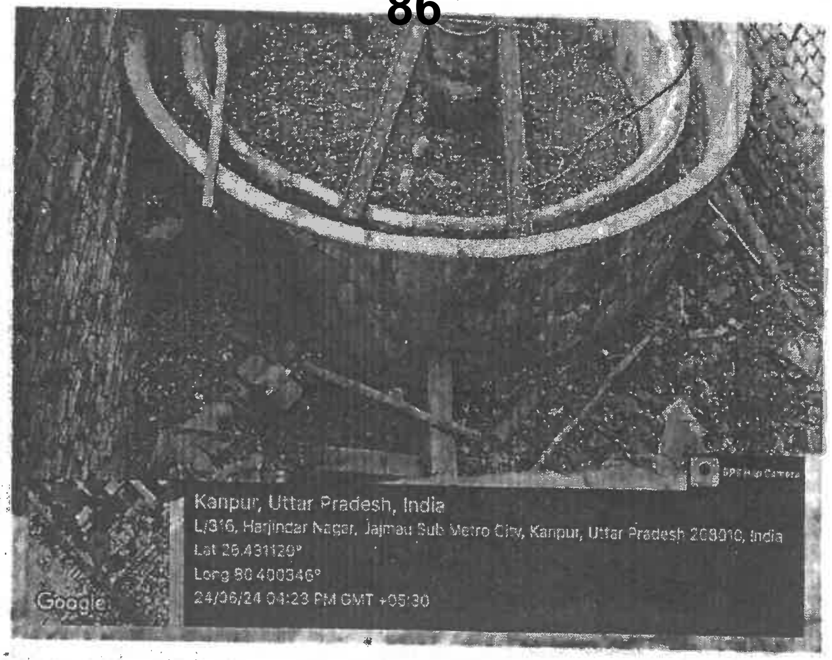

Figure: PETP outlet

12. Other observations/comments (If any)

    i. PETP non-operational and filled with thick sludge

    ii. Bypass observed and sample collected.

Inspection Team with organization name

Sr. No.	Name of Inspection team	Designation	Organization Name	Signature
1	Dr. Indrasis Das	Scientist	CSIR-CLRI	[signature]
2	Mr. Kuldeep Vishwakarma	Technical Officer	CSIR-CLRI	[signature]
3	Mr. Vikash Yadav	JRF	UPPCB	[signature]

Appeal No.13/2025 M/s Shams Leather Finishers Appellant Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Anr.

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: mansichahal104@gmail.com

Date: Friday, May 23, 2025 at 05:00 PM GMT+5:30

Madam,
Please find attached the Original Record

With Regards,

(PRADEEP MISRA)

SKM_28725052305040.pdf
1.3MB